



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ+7,939

No. 546]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 683(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1), की धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 20 के खंड (iii) और खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति पर, जो स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सेवाओं के वर्गीकरण स्कीम के अध्याय, खंड या शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट दर पर एकीकृत कर उद्गृहीत किया जाएगा,—

सारणी

क्र. सं.	अध्याय, खंड या शीर्ष	सेवा वर्णन	दर (प्रतिशत)	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अध्याय 99	सभी सेवाएं		
2	खंड 5	संनिर्माण सेवाएं		
3	शीर्ष 9954 (संनिर्माण सेवाएं)	(i) परिक्षेत्र, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पूर्णतः या भागतः क्रेता को विक्रय के लिए आशयित परिक्षेत्र या भवन भी है, सिवाय	18	-

		<p>वहां के, जहां अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् या उसके प्रथम अधिभोग के पश्चात्, जो भी पहले हो, संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है। (इस सेवा के मूल्यांकन के लिए इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपबंध लागू होंगे)</p>		
		(ii) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड 119 में यथापरिभाषित संकर्म संविदा का संयुक्त प्रदाय	18	-
		(iii) उपरोक्त (i) और (ii) से भिन्न संनिर्माण सेवाएं	18	-
4	<b>खंड 6</b>	<b>वितरणात्मक व्यापार सेवाएं ; आवास, खाद्य और सुपेय सेवा ; परिवहन सेवा ; गैस और विद्युत वितरण सेवाएं</b>		
5	<b>शीर्ष 9961</b>	<p>थोक विक्रय व्यापार में सेवाएं। स्पष्टीकरण--इस सेवा के अंतर्गत मालों का विक्रय या क्रय नहीं है किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित है — -कमीशन अभिकर्ताओं, दलालों और नीलामीकर्ताओं तथा टनय सभी ऐसे व्यापारियों की सेवाएं, जो किसी फीस या कमीशन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच थोक वाणिज्य संब्यवहारों का मोल भाव करते हैं; -इलेक्ट्रॉनिक थोक अभिकर्ताओं और दलालों की सेवाओं ; -थोक दलाली गृहों की सेवाएं</p>	18	-
6	<b>शीर्ष 9962</b>	<p>फुटकर व्यापार में सेवाएं। स्पष्टीकरण--इस सेवा के अंतर्गत माल का क्रय या विक्रय नहीं आता है।</p>	18	-
7	<b>शीर्ष 9963 (आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं)</b>	<p>(i) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग में न तो वातानुकूलन या केंद्रीय वायु तापन की सुविधा है और न ही मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।</p> <p>(ii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें एक हजार रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु दो हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो।</p> <p><b>स्पष्टीकरण :</b> "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर</p>	12	-
			12	-

	प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		
	(iii) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ।	18	-
	(iv) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग में वातानुकूलन या केंद्रीय वायु तापन की सुविधा है ।	18	-
	(v) बाह्य कैटरिंग में, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, कोई पूर्ति, जिसमें माल, ऐसी बाह्य कैटरिंग के भाग के रूप में खाद्य या मानवीय उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) और ऐसी पूर्ति या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है ।	18	-
	(vi) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें दो हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु सात हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो । <b>स्पष्टीकरण :</b> "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।	18	-
	(vii) ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, किन्तु जो खाद्य मानवीय उपभोग की किसी अन्य वस्तु या किसी सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) तक सीमित नहीं है, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, परिसरों (जिनमें होटल, कन्वेंसन केंद्र, क्लब, पंडाल, शामियाना या कोई अन्य स्थान, जहां विशेष रूप से समारोह आयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाती है),	18	-

		को किराए पर देने के साथ-साथ नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की जाती है।		
		(viii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, जिनके अंतर्गत पांच सितारा होटल भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों, या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो। <b>स्पष्टीकरण :</b> “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना।	28	-
		(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं।	18	-
8	<b>शीर्ष 9964</b> <b>(यात्री परिवहन सेवाएं)</b>	(i) प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच में रेल द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल के संबंध में प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है।
		(ii) निम्नलिखित के द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन- (क) मोटर कैब से भिन्न वातानुकूलित संविदा गाड़ी ; (ख) वातानुकूलित मंजिली गाड़ी ; (ग) रेडियो टैक्सी ; <b>स्पष्टीकरण :</b> (क) संविदा गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है। (ख) मंजिली गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है। (ग) “रेडियो टैक्सी” से ऐसी टैक्सी, जिसके अंतर्गत कोई रेडियो कैब भी है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ द्विमार्गी रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या साधारण पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस) का प्रयोग करते हुए ट्रैकिंग के लिए समर्थ है।	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iii) इकोनोमी श्रेणी में वायुयान द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट

				कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iv) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम विमानपत्तन से यात्रा प्रारंभ करते या वहां समाप्त करते हुए, सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन।	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(v) इकोनोमी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन।	12	-
		(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन।	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	18	-
9	<b>शीर्ष 9965</b> (माल परिवहन सेवाएं)	(i) रेल द्वारा माल का परिवहन (इस शीर्ष के अधीन नीचे क्र.सं. (iv) पर विनिर्दिष्ट सेवा से भिन्न)	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में माल की बाबत प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है।
		(ii) जलयान में माल का परिवहन, जिसके अंतर्गत किसी गैर-कराधेय राज्य क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा, भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी से सीमाशुल्क केंद्र तक परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाई गई सेवाएं भी हैं।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल (पोतों, जलयानों, जिनके अंतर्गत माल जहाज और टैंकर भी हैं, पर से भिन्न) पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। <b>स्पष्टीकरण :</b> यह शर्त वहां लागू नहीं होगी, जहां सेवा का पूर्तिकार गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए	5	बशर्ते माल की पूर्ति

		उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अधिकरण की सेवाएं। <b>स्पष्टीकरण :</b> “माल परिवहन अधिकरण” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।		करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों में माल का परिवहन।	12	-
		(v) उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	18	-
10	<b>शीर्ष 9966 (परिवहन यानों की भाटक सेवा)</b>	(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना।	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न प्रचालकों के साथ या उनके बिना परिवहन यानों के भाटक सेवा	18	-
11	<b>शीर्ष 9967 (परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं)</b>	(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है। <b>स्पष्टीकरण-</b> “माल परिवहन अधिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और पारेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं	18	-
12	<b>शीर्ष 9968</b>	डाक और कुरियर सेवाएं	18	-
13	<b>शीर्ष 9969</b>	विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं	18	-
14	<b>खंड 7</b>	<b>वित्तीय और संबंधित सेवाएं; भू-संपदा सेवाएं और भाटक तथा पट्टा सेवाएं</b>		
15	<b>शीर्ष 9971 (वित्तीय और संबंधित सेवाएं)</b>	(i) किसी चिट के संबंध में चिटफंड के फोरमैन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं <b>स्पष्टीकरण-</b> 1. “चिट” से संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे चिट, चिटफंड, चिट्टी, कुरी के नाम से ज्ञात हो या किसी भी नाम से ज्ञात हो या जिसके अधीन व्यक्ति विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों के साथ करार करता है कि उनमें से प्रत्येक निश्चित अवधि में आवधिक किस्तों के माध्यम से कतिपय धनराशि का अभिदाय करेगा (या उसके स्थान पर निश्चित मात्रा में अनाज) और प्रत्येक अभिदाता उसकी बारी में जिसका लाटरी द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या ऐसी रीति में जो चिट करार में विनिर्दिष्ट की जाए, इनामी रकम का हकदार होगा। 2. “चिटफंड का फोरमैन” का वही अर्थ होगा जो चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खंड (ज) में “फोरमैन” पद का है।	12	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)

		(ii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iii) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iv) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संब्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना। <b>स्पष्टीकरण-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है; (ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध शृंखला का गठन करती है, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है; (ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध शृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। <b>स्पष्टीकरण :</b> यह शर्त वहां लागू नहीं होगी, जहां पट्टा सेवा का पूर्तिकार गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(v) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न वित्तीय और संबंधित सेवाएं	18	-
16	शीर्ष 9972	भू-संपदा सेवाएं	18	-
17	शीर्ष 9973	(i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना	12	-
		(ii) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना	18	-
		(iii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iv) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-

		<p>(v) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना।</p> <p><b>स्पष्टीकरण-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,-</p> <p>(क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है;</p> <p>(ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।</p>	5	<p>बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। स्पष्टीकरण : यह शर्त वहां लागू नहीं होगी, जहां पट्टा सेवा का पूर्तिकार गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है।</p> <p>(कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)</p>
		(vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न प्रचालक सहित या उसके बिना पट्टा या भाटक सेवाएं	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्बलित है।	-
18	खंड 8	कारबार और उत्पादन सेवाएं		
19	शीर्ष 9981	अनुसंधान और विकास सेवाएं	18	-
20	शीर्ष 9982	विधिक और लेखांकन सेवाएं	18	-
21	शीर्ष 9983 (अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं)	(i) प्रिन्ट मीडिया के लिए विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय	5	-
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं	18	-
22	शीर्ष 9984	दूरसंचार, प्रसारण और सूचना पूर्ति सेवाएं	18	-
23	शीर्ष 9985 (समर्थनकारी सेवाएं)	(i) दूर प्रचालक सेवाओं की पूर्ति <p><b>स्पष्टीकरण-</b> "दूर प्रचालक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो दूरों की योजना बनाने, उनकी शेड्यूलिंग, आयोजन, प्रबंध करने (जिसके अंतर्गत आवास, दर्शनीय स्थल या अन्य वैसे ही सेवाएं हो सकेंगी) के कारबार में परिवहन के किसी ढंग द्वारा लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत दूरों के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति है</p>	5	<p>1. बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)</p> <p>2. इस सेवा की पूर्ति के लिए जारी किया गया बीजक यह उपदर्शित करता है कि इसमें ऐसे किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार सम्मिलित हैं</p>



				और बीजक में प्रभारित रकम ऐसी किसी यात्रा के लिए प्रभारित सकल रकम है, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार भी हैं।
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न समर्थनकारी सेवाएं	18	-
24	शीर्ष 9986	<p>(i) कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाएं</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b> “कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाओं” से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-</p> <p>(i) निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालनपोषण से -पोषण के सिवाय पालन-संबंधित सेवाएं—</p> <p>(क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगाना, श्रेसिंग, पौद्या संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ;</p> <p>(ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना ;</p> <p>(ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौधों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं ;</p> <p>(घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्टे पर देना ;</p> <p>(ङ) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण ;</p> <p>(च) कृषि विस्तारण सेवाएं ;</p> <p>(छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।</p> <p>(ii) फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल</p>	कुछ नहीं	-

		लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाएं, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैं। (iii) पादपों की बुआई और अश्वों के पालनके पोषण-पोषण जैसे -सिवाय पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना।		
		(ii) खनन, विद्युत, गैस और जल वितरण के लिए समर्थनकारी सेवाएं	18	-
25	शीर्ष 9987	अनुरक्षण, मरम्मत और प्रतिस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं	18	-
26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं)	(i) निम्नलिखित के संबंध में जाबवर्क के माध्यम से सेवाएं (क) समाचार पत्रों का मुद्रण (ख) टैक्सटाइल सूत (मानव निर्मित फाइबर से भिन्न) और टैक्सटाइल फैब्रिक (ग) कर्तित और पालिश किए हुए हीरक; मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान रत्न, या स्वर्ण और अन्य मूल्यवान धातुओं के सादे और जड़ाउ आभूषण जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आते हैं (घ) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण (ङ) खाल, चर्म और चमड़ा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 41 के अधीन आते हैं, का प्रसंस्करण <b>स्पष्टीकरण-</b> "मानव निर्मित फाइबर" से स्टेपल फाइबर और या तो विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित जैविक पालिमरों के फिलामेंट अभिप्रेत हैं : (क) पालीएमाइड्स, पोलिएस्टर, पोलिओलेथिन्स या पोलिउरेथेन्स उत्पादित करने के लिए जैविक मोनोमरों का पालिमराइकरण या इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पालिमरों का रासायनिक उपांतरण (उदाहरणार्थ पालीफिनायल एल्कोहल जो पोलिविनायल एसिटेट के हाइड्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है); या (ख) पालीमरों का प्राकृतिक जैविक पालिमरों को घोलने या रासायनिक उपचार द्वारा उत्पादन करने के लिए (उदाहरणार्थ सेलुलोस) जैसे कुपराममोनियम रेयान (कुपरो) या विस्कोस रेयान या प्राकृतिक जैविक पालीमरों के रासायनिक उपांतरण द्वारा (उदाहरणार्थ सेलुलोस, केसीन और अन्य प्रोटीन या अलजीनिक अमल पैकेज सेलुलोस एसिटेट या अल्जीमेट्स का उत्पादन किया जा सके (ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं	5	-
27	शीर्ष 9989	अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	18	-
28	खंड 9	सामुदायिक, समाज एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं		

29	शीर्ष 9991	सामुदायिक और समग्र रूप में उपलब्ध कराई गई लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं	18	-
30	शीर्ष 9992	शैक्षिक सेवाएं	18	-
31	शीर्ष 9993	मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख सेवाएं	18	-
32	शीर्ष 9994	मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरणीय संरक्षण सेवाएं	18	-
33	शीर्ष 9995	सदस्यता संगठनों की सेवाएं	18	-
34	शीर्ष 9996 (मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं)	(i) सर्कस, भारतीय सांस्कृतिक नृत्य जिसके अंतर्गत लोक नृत्य, थियेटर में प्रदर्शन, ड्रामा है, में प्रवेश या पहुंच के माध्यम से सेवाएं	18	-
		(ii) सिनेमा फिल्मों में प्रवेश प्रदर्शन के माध्यम से सेवाएं, जहां प्रवेश टिकट की कीमत एक सौ रुपए या कम है	18	-
		(iii) मनोरंजन आयोजनों में प्रवेश या मनोविनोद सुविधाओं तक पहुंच, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन, थीम, पार्क, वाटर पार्क या जाय-राइड, मैरी-गो राउंड, गो-कार्टिंग, कैसिनो, रेसकोर्स, बैले, कोई क्रीड़ा समारोह जैसे इंडियन प्रीमियर लीग और सदृश हैं, के माध्यम से सेवाएं	28	-
		(iv) टोटेलिसेटर या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा किसी रेस क्लब में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	28	-
		(v) जुआबाजी	28	-
		(vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं	18	-
35	शीर्ष 9997	अन्य सेवाएं (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएं, सौन्दर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं भी हैं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं)	18	-
36	शीर्ष 9998	घरेलू सेवाएं	18	-
37	शीर्ष 9999	एक्स्ट्रिटोरियल संगठनों और निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	18	-

2. उपरोक्त सारणी की क्र.सं. 3 के सामने मद (i) में प्रविष्टि के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में, जिसमें, यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर में संपत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, सेवा की पूर्ति और ऐसी पूर्ति में माल के भाग का मूल्य या भूमि के अविभाजित शेयर के मूल्य से घटाकर ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम के समतुल्य होगा और भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर का मूल्य, यथास्थिति, ऐसी पूर्ति में ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम का एक-तिहाई समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण—**पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, "कुल रकम" से निम्नलिखित की कुल राशि अभिप्रेत है,—

(क) पूर्वोक्त सेवा के लिए प्रभारित प्रतिफल ; और

(ख) यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर के अंतरण के लिए प्रभारित रकम।

3. लाटरी की पूर्ति का मूल्य, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाटरी की दशा में आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंकित मूल्य या कीमत का 112/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी की दशा में लाटरी का अंकित मूल्य या आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कीमत का 128/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

4. **स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(i) माल में पूंजी माल भी सम्मिलित हैं।

- (ii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “अध्याय”, “खंड” या “शीर्ष” शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में “अध्याय”, “खंड” या “शीर्ष” का है।
- (iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वाचन के लिए नियम जहां तक हो सके, शीर्ष 9988 के निर्वाचन को लागू होंगे।
- (iv) इस अधिसूचना में जहां कहीं कोई दर इस शर्त के अधीन कि सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है, विहित की गई है, वहां उसका तात्पर्य यह होगा कि,—
- (क) ऐसी सेवा की पूर्ति में अन्य रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और
- (ख) ऐसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसी सेवा की पूर्ति एक ब्रूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) और तदधीन बनाए गए नियम के उपबंध लागू होते।
- (v) “सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर” से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या इमेज, जिसमें सोर्स कोड और आब्जेक्ट कोड मशीन में पठनीय रूप से अभिलिखित और परिवर्तन किए जाने में सक्षम या प्रयोगकर्ता के लिए अंतर-क्रियाकलाप प्रदान करने, कंप्यूटर या किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपकरण के माध्यम से प्रस्तुत करना सम्मिलित है, अभिप्रेत है।
- (vi) “कृषि विस्तार” से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है।
- (vii) “कृषि उत्पाद” से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन केखाद्य के लिए ,, फाइबर , न पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा जि ,कच्ची सामग्रियां या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत है ,ईंधन प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है।
- (viii) “कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड” से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है।

5. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 8/2017-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 683(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (iii) and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby notifies that the integrated tax, on the inter-State supply of services of description as specified in column (3) of the Table below, falling under Chapter, Section or Heading of scheme of classification of services as specified in column (2), shall be levied at the rate as specified in the corresponding entry in column (4), subject to the conditions as specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Section or Heading	Description of Service	Rate (per cent.)	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Chapter 99</b>	<b>All Services</b>		
2	<b>Section 5</b>	<b>Construction Services</b>		
3	<b>Heading 9954</b> (Construction services)	(i) Construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. (Provisions of paragraph 2 of this notification shall apply for valuation of this service)	18	-
		(ii) composite supply of works contract as defined in clause 119 of section 2 of Central Goods and Services Tax Act, 2017.	18	-
		(iii) construction services other than (i) and (ii) above.	18	-
4	<b>Section 6</b>	<b>Distributive Trade Services; Accommodation, Food and Beverage Service; Transport Services; Gas and Electricity Distribution Services</b>		
5	<b>Heading 9961</b>	Services in wholesale trade. Explanation-This service does not include sale or purchase of goods but includes: - Services of commission agents, commodity brokers, and auctioneers and all other traders who negotiate whole sale commercial transactions between buyers and sellers, for a fee or commission' - Services of electronic whole sale agents and brokers, - Services of whole sale auctioning houses.	18	-
6	<b>Heading 9962</b>	Services in retail trade. <i>Explanation-</i> This service does not include sale or purchase of goods	18	-
7	<b>Heading 9963</b> (Accommodation, food and beverage services)	(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, neither having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year and nor having licence or permit or by whatever name called to serve alcoholic liquor for human consumption.	12	-
		(ii) Accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of one thousand rupees and above but less than two thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of	12	-

	accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		
	(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, having licence or permit or by whatever name called to serve alcoholic liquor for human consumption.	18	-
	(iv) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year.	18	-
	(v) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever in outdoor catering wherein goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not alcoholic liquor for human consumption), as a part of such outdoor catering and such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.	18	-
	(vi) Accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of two thousand five hundred rupees and above but less than seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	18	-
	(vii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, including but not limited to food or any other article for human consumption or any drink (whether or not alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, in a premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) together with renting of such premises.	18	-
	(viii) Accommodation in hotels including five star hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a	28	-

		unit of accommodation of seven thousand and five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. <i>Explanation.</i> —“declared tariff ” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		
		(ix) Accommodation, food and beverage services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above.	18	-
8	<b>Heading 9964</b> (Passenger transport services)	(i) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by rail in first class or air conditioned coach.	5	Provided that credit of input tax charged in respect of goods used in supplying the service is not utilised for paying integrated tax, central tax, state tax or union territory tax on the supply of the service
		(ii) Transport of passengers, with or without accompanied belongings by- (a) air conditioned contract carriage other than motorcab; (b) air conditioned stage carriage; (c) radio taxi. <i>Explanation.</i> - (a) “contract carriage” has the meaning assigned to it in clause (7) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); (b) “stage carriage” has the meaning assigned to it in clause (40) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) ; (c) “radio taxi” means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS).	5	Provided that credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iii) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by air in economy class.	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iv) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by air, embarking from or terminating in a Regional Connectivity Scheme Airport, as notified by the Ministry of Civil Aviation.	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]

		(v) Transport of passengers by air, with or without accompanied belongings, in other than economy class.	12	-
		(vi) Transport of passengers by motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	18	-
9	<b>Heading 9965</b> (Goods transport services)	(i) Transport of goods by rail [other than services specified at item no. (iv)].	5	Provided that credit of input tax charged in respect of goods in supplying the service is not utilised for paying integrated tax, central tax, state tax or union territory tax on the supply of the service
		(ii) Transport of goods in a vessel including services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India.	5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) used in supplying the service has not been taken <i>Explanation:</i> This condition will not apply where the supplier of service is located in non-taxable territory. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). <i>Explanation.</i> - “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	12	-
		(v) Goods transport services other than (i), (ii), (iii) and (iv) above.	18	-



10	<b>Heading 9966</b> (Rental services of transport vehicles)	(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(ii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) above.	9	-
11	<b>Heading 9967</b> (Supporting services in transport)	(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). <i>Explanation.-</i> “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(ii) Supporting services in transport other than (i) above.	18	-
12	<b>Heading 9968</b>	Postal and courier services.	18	-
13	<b>Heading 9969</b>	Electricity, gas, water and other distribution services.	18	-
14	<b>Section 7</b>	<b>Financial and related services; real estate services; and rental and leasing services.</b>		
15	<b>Heading 9971</b> (Financial and related services)	(i) Services provided by a foreman of a chit fund in relation to chit. <i>Explanation.-</i> (a) "chit" means a transaction whether called chit, chit fund, chitty, kuri, or by whatever name by or under which a person enters into an agreement with a specified number of persons that every one of them shall subscribe a certain sum of money (or a certain quantity of grain instead) by way of periodical instalments over a definite period and that each subscriber shall, in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be specified in the chit agreement, be entitled to a prize amount; (b) “foreman of a chit fund” shall have the same meaning as is assigned to the expression “foreman” in clause (j) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982).	12	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(ii) Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.	Same rate of integrated tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iii) Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof.	Same rate of integrated tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-

		(iv) Leasing of aircrafts by an operator for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service by way of transaction covered by clause (f) paragraph 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017. <i>Explanation.-</i> (a) “operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operations; (b) “scheduled air transport service” means an air transport service undertaken between the same two or more places operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisable systematic series, each flight being open to use by members of the public; (c) “scheduled air cargo service” means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisably systematic series, not open to use by passengers.	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken <i>Explanation:</i> This condition will not apply where the supplier of the leasing service is located in non-taxable territory. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(v) Financial and related services other than (i), (ii), (iii) and (iv) above.	18	-
16	<b>Heading 9972</b>	Real estate services.	18	-
17	<b>Heading 9973</b> (Leasing or rental services, with or without operator)	(i) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of goods other than Information Technology software.	12	-
		(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of Information Technology software. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (v)]	18	-
		(iii) Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.	Same rate of integrated tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iv) Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof.	Same rate of integrated tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(v) Leasing of aircrafts by an operator for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service by way of transaction covered by clause (f) paragraph 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017. <i>Explanation.-</i> (a) “operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operations; (b) “scheduled air transport service” means an air transport service undertaken between the same two or more places operated according to a published time table or with flights so regular or	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken <i>Explanation:</i> This condition will not apply where the supplier of the leasing service is located in non-taxable territory.

		frequent that they constitute a recognisable systematic series, each flight being open to use by members of the public; (c) "scheduled air cargo service" means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisably systematic series, not open to use by passengers.		[Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(vi) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	Same rate of integrated tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
18	<b>Section 8</b>	<b>Business and Production Services</b>		
19	<b>Heading 9981</b>	Research and development services.	18	-
20	<b>Heading 9982</b>	Legal and accounting services.	18	-
21	<b>Heading 9983</b> (Other professional, technical and business services)	(i) Selling of space for advertisement in print media. (ii) Other professional, technical and business services other than (i) above.	5 18	- -
22	<b>Heading 9984</b>	Telecommunications, broadcasting and information supply services.	18	-
23	<b>Heading 9985</b> (Support services)	(i) Supply of tour operators services. <i>Explanation.</i> - "tour operator" means any person engaged in the business of planning, scheduling, organizing, arranging tours (which may include arrangements for accommodation, sightseeing or other similar services) by any mode of transport, and includes any person engaged in the business of operating tours.	5	1. Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)] 2. The bill issued for supply of this service indicates that it is inclusive of charges of accommodation and transportation required for such a tour and the amount charged in the bill is the gross amount charged for such a tour including the charges of accommodation and transportation required for such a tour.
		(ii) Support services other than (i) above	18	-
24	<b>Heading 9986</b>	(i) Support services to agriculture, forestry, fishing, animal husbandry. <i>Explanation.</i> - Support services to agriculture, forestry, fishing, animal husbandry mean - (i) Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw	Nil	-

		<p>material or other similar products or agricultural produce by way of—</p> <p>(a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing;</p> <p>(b) supply of farm labour;</p> <p>(c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;</p> <p>(d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;</p> <p>(e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;</p> <p>(f) agricultural extension services;</p> <p>(g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce.</p> <p>(ii) Services by way of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables.</p> <p>(iii) Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce.</p>		
		(ii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution.	18	-
25	<b>Heading 9987</b>	Maintenance, repair and installation (except construction) services.	18	-
26	<b>Heading 9988</b> (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)	<p>(i) Services by way of job work in relation to-</p> <p>(a) Printing of newspapers;</p> <p>(b) Textile yarns (other than of man-made fibres) and textile fabrics;</p> <p>(c) Cut and polished diamonds; precious and semi-precious stones; or plain and studded jewellery of gold and other precious metals, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);</p> <p>(d) Printing of books (including Braille books), journals and periodicals;</p> <p>(e) Processing of hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975).</p> <p><i>Explanation.-</i> “man made fibres” means staple fibres and filaments of organic polymers produced by manufacturing processes either,-</p> <p>(a) by polymerisation of organic monomers to produce polymers such as polyamides, polyesters, polyolefins or polyurethanes, or by chemical modification of polymers produced by this process [for example, poly(vinyl alcohol)</p>	5	-

		prepared by the hydrolysis of poly(vinyl acetate)]; or (b) by dissolution or chemical treatment of natural organic polymers (for example, cellulose) to produce polymers such as cuprammonium rayon (cupro) or viscose rayon, or by chemical modification of natural organic polymers (for example, cellulose, casein and other proteins, or alginic acid), to produce polymers such as cellulose acetate or alginates.		
		(ii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) above.	18	-
27	<b>Heading 9989</b>	Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services.	18	-
28	<b>Section 9</b>	<b>Community, Social and Personal Services and other miscellaneous services</b>		
29	<b>Heading 9991</b>	Public administration and other services provided to the community as a whole; compulsory social security services.	18	-
30	<b>Heading 9992</b>	Education services.	18	-
31	<b>Heading 9993</b>	Human health and social care services.	18	-
32	<b>Heading 9994</b>	Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services.	18	-
33	<b>Heading 9995</b>	Services of membership organisations.	18	-
34	<b>Heading 9996</b> (Recreational, cultural and sporting services)	(i) Services by way of admission or access to circus, Indian classical dance including folk dance, theatrical performance, drama.	18	-
		(ii) Services by way of admission exhibition of cinematograph films where price of admission ticket is one hundred rupees or less.	18	-
		(iii) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting, casinos, race-course, ballet, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	28	-
		(iv) Services provided by a race club by way of totalisator or a license to bookmaker in such club.	28	-
		(v) Gambling.	28	-
		(vi) Recreational, cultural and sporting services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	18	-
35	<b>Heading 9997</b>	Other services (washing, cleaning and dyeing services; beauty and physical well-being services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified).	18	-
36	<b>Heading 9998</b>	Domestic services.	18	-
37	<b>Heading 9999</b>	Services provided by extraterritorial organisations and bodies.	18	-

2. In case of supply of service specified in column (3) of the entry at item (i) against serial no. 3 of the Table above, involving transfer of property in land or undivided share of land, as the case may be, the value of supply of service and goods portion in such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

*Explanation .-* For the purposes of paragraph 2, “total amount” means the sum total of,-

(a) consideration charged for aforesaid service; and

(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be.

3. Value of supply of lottery shall be 100/112 of the face value or the price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher, in case of lottery run by State Government and 100/128 of the face value or the price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher, in case of lottery authorised by State Government.

4. *Explanation.*- For the purposes of this notification,-

(i) Goods includes capital goods.

(ii) Reference to “Chapter”, “Section” or “Heading”, wherever they occur, unless the context otherwise requires, shall mean respectively as “Chapter”, “Section” and “Heading” in the scheme of classification of services.

(iii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of heading 9988.

(iv) Wherever a rate has been prescribed in this notification subject to the condition that credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken, it shall mean that,-

(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such service has not been taken; and

(b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such service and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such service is an exempt supply and attracts provisions of clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (2) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder.

(v) “information technology software” means any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code, recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of a computer or an automatic data processing machine or any other device or equipment.

(vi) “agricultural extension” means application of scientific research and knowledge to agricultural practices through farmer education or training;

(vii) “agricultural produce” means any produce out of cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products, on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer which does not alter its essential characteristics but makes it marketable for primary market;

(viii) “Agricultural Produce Marketing Committee or Board” means any committee or board constituted under a State law for the time being in force for the purpose of regulating the marketing of agricultural produce;

5. This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 684(अ).**—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्बहणीय उतने एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित उक्त कर की रकम से अधिक है, अर्थात्:—